लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स राधारमण कंस्ट्रक्शन एण्ड मार्केटिंग प्रा0 लि0, प्रो0: लालती देवी, पिता–मेदनी राय, तृतीय तल, प्लौट नं0–388/389, बिस्कुट फैक्ट्री मोड़, नासरीगंज, पो0 एवं थाना–दानापुर, जिला–पटना द्वारा अरवल सोन नदी बालु घाट–05, मौजा–मखदुमपुर, थाना एवं ब्लॉक–अरवल, जिला–अरवल अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 20.06.2023 को अपराह्न 02:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय परिसर के टाउन हॉल, अरवल, जिला–अरवल के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2087/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री ज्योति कुमार, अपर समाहर्ता, अरवल (जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 20.06.2023 को अपराह्न 02:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय परिसर के टाउन हॉल, अरवल, जिला–अरवल में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 10.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा अरवल सोन नदी बालु घाट–05, मौजा–मखदुमपुर, थाना एवं ब्लॉक–अरवल, जिला–अरवल के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रविरंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री पप्पु कुमार, पिताः रमेश चन्द्र राम, अरवल।	इनके द्वारा बालू घाट पर खनन के दौरान पानी का स्तर नीचे भाग जाता है, जिससे गर्मी के दिनो में परेशानी होती है; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन दिया गया कि स्थानीय लोगो के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोरिंग एवं जगह–जगह पर पंसाला की भी सुविधा दी जायेगी। इसप्रकार श्री पप्पु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री मंजय कुमार, पिताः चन्द्रिका सिंह,	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोकथाम करने से

	ग्रामः रोजापुर, जिला–अरवल।	संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री विजय कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री रूपेश कुमार सिंह, पिताः प्रवेश चन्द्र देव सिंह, अरवल।	इनके द्वारा पानी की समस्या एवं खनन उपरान्त बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोकथाम करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा तथा पानी की समस्या के बारे में बताया गया कि स्थानीय लोगो के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोरिंग की सुविधा इनके द्वारा दी जायेगी। इसप्रकार श्री रूपेश कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री मन्नु कुमार, पिताः महेन्द्र सिंह, ग्रामः देवकुली, जिला–अरवल।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान जल छिड़काव करने से संबंधित सुझाव दिया गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने

		वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा। इसप्रकार श्री मन्नु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री पप्पु कुमार, पिताः रमेश चन्द्र राम, अरवल।	इनके द्वारा गर्मी को देखते हुए पेड–पौधे लगाने एवं जाड़े के दिनो में अलाव की सुविधा से संबंधित सुझाव दिया गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जायेगा साथ ही ठण्डे के दिनो में अलाव की सुविधा ग्रामीणो को उपलब्ध करा दी जायेगी। इसप्रकार श्री पप्पु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया	अपर समाहर्त्ता अरवल

उपस्थिति सूची

मेसर्स राधारमण कंस्ट्रक्शन एण्ड मार्केटिंग प्रा0 लि0, प्रो0ः लालती देवी, पिता—मेदनी राय, तृतीय तल, प्लौट नं0—388/389, बिस्कुट फैक्ट्री मोड़, नासरीगंज, पो0 एवं थाना—दानापुर, जिला—पटना द्वारा अरवल सोन नदी बालु घाट—05, मौजा—मखदुमपुर, थाना एवं ब्लॉक—अरवल, जिला—अरवल का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 20.06.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में टाउन हॉल, अरवल, जिला—अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	J. Kumar	ADM, Arwal	[signature] 20/6/2023
2.	Manoranjan Kr. Singh	R.O, B.S.P.C.B. Gaya	[signature] 20/6/23
3.	Narendu Singh	MDO, Arwal	[signature] 20/06/23
4.	Deepak Kumar	MI. Arwal	[signature] 20/06/23
5.	MANISH KUMAR	Environmental Consultant, Rian Enviro Private Limited Patna	Manish
6.	RAVIRANJAN KUMAR	Env. Consultant Rian Enviro Pvt Ltd. Patna	Ravi 20/06/23
7.	[illegible]	9939469052	[signature] 20-6-2023
8.	सुनील कुमार	प्रखंड [illegible]	सुनील कुमार
9.	राजीव रंजन	प्रसादि [illegible]	Rajiv Ranjan

10.	सुधीर कुमार	हसनपुर	सुधीर कु
11.	शैलेश कुमार	अरवल	शैलेश कुमार
12.	राजेश कुमार	इभिया मानिक सराय	राजेश कुo
13.	Pintu Kumar	Amma bigha	Pintu
14.	pabbu Kumar	Amabigha	pappu Kr
15.	Abhay Kumar	Rojapar	Abhay Kumar
16.	manjay Kumar	Rofa Par	[illegible]
17.	विनोद कुमार	रामपुर	विनोद कुमार
18.	चरित कुमार	सैदाबाद	चरित कुमार
19.	मंडल आहद	सोरसड़ी	Mandal Jad
20.	मिनेश्वर कुमार	मखदूमपुर	मिनेश्वर कुमार

21.	मानु कुमार यादव	मखदुमपुर	[illegible signature]
22.	राजु कुमार	मखदुमपुर	[illegible signature]
23.	शिव कुमार सिंह	मखदुमपुर	S.K. Singh
24.	बांके बिहारी सिंह	अरवल	बांके बिहारी सिंह
25.	उमेश सिंह	मखदुमपुर	उमेश सिंह
26.	मनु कुमार	करपी, अरवल 7903924789	मनु कुमार
27.	Shiblu Singh	Arwal	Shiblu
28.	अवधबिहारी	अरवल	अवधबिहारी
29.	भरत कुमार	अरवल	भरत कुमार
30.	रणवीर सिंह	भाकपुर, अरवल	Ranvir Singh
31.	उमेश कुमार	अरवल	[illegible signature]